छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

-:: आदेश ::-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 16 /02/2021

क्रमांक एफ 12-5/2021/20-दो :::: श्री राजकुमार कुर्रे एवं अन्य 4 के द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में एन.पी.एस. के रूप में राशि कटौति न करने एवं दिनांक 01.01.2004 के पहले नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के समान जी.पी.एफ. कटौति कर पेंशन पात्रता दिये जाने के संबंध में याचिका क्रमांक (एस) 4371/2020 दायर किया गया। प्रकरण में दिनांक 05.11.2020 को माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा आदेशस पारित किया गया, जिसके अनुसार याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी क्रमांक 4 अर्थात जिला शिक्षा अधिकारी, कबीरधाम के समक्ष 04 सप्ताह के भीतर एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं उक्त अभ्यावेदन पर जिला शिक्षा अधिकारी, कबीरधाम को 90 दिवस के भीतर प्रकरण का निराकरण करने के संबंध में आदेश पारित किया गया है।

2/ छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्त) नियम 1997 में शिक्षाकर्मियों के लिए पेंशन का प्रावधान नहीं था। छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक/पंचा/पंग्राविवि/22/2011/1096, दिनांक 02.11.2011 एवं तत्संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक/पं.-15/पंग्राविवि/22/2012/836, दिनांक 18.06.2012 अनुसार दिनांक 01.04.2012 से शिक्षाकर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी। शिक्षाकर्मी यदि उनके मूल वेतन की 10 प्रतिशत तक राशि इस योजना में जमा करता है तो नियोक्ता द्वारा भी उतनी ही राशि अपने अंश के रूप में जमा करने का प्रावधान किया गया।

3/ छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 4-79/2011/18, दिनांक 22.02.2017 में उल्लेखानुसार उनके द्वारा पंचायत विभाग के उपर्युक्त आदेशों का अनुसरण करते हुए नगरीय निकायों में कार्यरत शिक्षक (नगरीय निकाय) हेतु दिनांक 01.04.2012 से नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है।

4/ शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) संवर्ग का संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में दिनांक 01.07.2018 से किया गया। अतः इसी तिथि से चरणबद्ध तरीक से संविलियन किये जाने के उपरांत ही समस्त शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) संवर्ग स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी माने गए। संविलियन से पूर्व वे सभी पंचायत/नगरीय निकाय के कर्मचारी थे। विभाग द्वारा जारी संविलियन निर्देश क्रमांक 1, दिनांक 30.06.2018 की कंडिका 4, 5 एवं 6 अनुसार **"शिक्षक (एल.बी.) सवंर्ग को देय समस्त लाभ के लिए सेवा की गणना संविलियन दिनांक 01 जुलाई 2018 से की जाएगी। दिनांक 01 जुलाई 2018 के पूर्व की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के एरियर्स की पात्रता नहीं होगी। शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग को नवीन अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी।"**

5/ चूंकि संविलियन के पूर्व समस्त शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) संवर्ग स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी नहीं थे एवं उनके पूर्व नियोक्ता विभाग यथा पंचायत विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग के भर्ती नियमों में दिनांक 01.04.2012 के पूर्व किसी भी प्रकार के पेंशन की पात्रता नहीं थी। उनके द्वारा दिनांक 01.04.2012 से ही शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) संवर्ग के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई थी।

6/ अतः उपर्युक्त कंडिका 2, 3, 4 एवं 5 के अनुक्रम में प्रकरण का पूर्ण परीक्षण किया जाकर निर्णय लिया जाता है कि समस्त शिक्षक संवर्ग (पंचायत/नगरीय निकाय) का संविलियन दिनांक 01 जुलाई, 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में होने के पूर्व उन्हें पेंशन की पात्रता नहीं होगी।

अतः राज्य शासन एतद्द्वारा पुरानी पेंशन दिये जाने के संबंध में श्री राजकुमार कुर्रे एवं अन्य के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों को अमान्य किया जाता है तथा यह भी निर्णय लिया जाता है कि दिनांक 01.01.2004 के पूर्व नियुक्त शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) संवर्ग, जिनका संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में हो चुका है के द्वारा स्वयं अथवा अन्य किसी भी माध्यम से पुरानी पेंशन प्रदान किये जाने के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग में प्रस्तुत एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत समस्त अभ्यावेदनों को अमान्य किया जाता है। भविष्य में उपर्युक्त के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(जनक कुमार)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक 12-5/2021/20-दो, नवा रायपुर, दिनांक 16 /02/2021

प्रतिलिपिः-

1. महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)
2. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय,
3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
4. समस्त संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय, शिक्षा संभाग, छत्तीसगढ़।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
6. संबंधित.....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

7. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग